वाद पत्र संख्या : 37 / 2022
सुमेर आदि बनाम कुलदीप आदि
निर्णय दिनांक 03/07/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आरएस

राजस्व वाद स. 37 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 89

1. सुमेर सिंह पुत्र श्री उमराव सिह जाति राजूपत निवासी गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. केला देवी पत्नि हरिसिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
3. विनोद सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
4. बलवान सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
5. ज्योति कवंर पुत्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
6. कृष्ण सिंह पुत्र फुलसिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
7. शिवसिह पुत्र फुलसिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
8. अशोक सिंह पुत्र फुलसिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
9. जनक सिंह पुत्र फुलसिंहजाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
10. सुदेश देवी पत्नि महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
11. पंकज सिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
12. नीतू कवंर पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
13. नीशा कवंर पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
14. सविता कवंर पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
15. शशी कवंर पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
16. सोमवती पत्नि विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
17. भविष्य पुत्र विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
18. अनामिका पुत्री विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना

..........वादीगण

— बनाम —

1. कुलदीप सिंह पुत्र फुलसिह (गुलजीसिह) जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
2. संगीता देवी पत्नि सुरेश कुमार जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
3. सीमा देवी पत्नि पवन सिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलोदा जरिये शाखा प्रबन्धक
5. किरण पुत्री सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
6. गीता पत्नि दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
7. विजय सिंह पुत्र फुलसिंह जाति राजपूत निवासी गादली तह. बुहाना
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार भू– अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

..............प्रतिवादीगण

दावा –घोषणात्मक , स्थाई नि...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:48:42 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वाद पत्र संख्या : 37 / 2022
सुमेर आदि बनाम कुलदीप आदि
निर्णय दिनांक 03/07/2023

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. श्री अशोक यादव एड. प्रति. सं. 2, 3, 5, 6, 7की ओर से।
3. शेष प्रतिवादीगण के विरूद एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:निर्णय:–

दिनांक – 03/07/2023

वादी की ओर से हस्तगत वाद पत्र घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती इन संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि –

1. यह कि वाके ग्राम गोपालपुरातहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न.11 रकबा 1.47 हैक्टर ख.न. 7 रकबा 1.28 हैक्टर ख.न. 8 रकबा 0.98 हैक्टर ख.न.9 रकबा 0.60 हैक्टर किता 4 रकबा 4.33 हैक्टर. मे बर्फी देवी पत्नि भंवर सिह (भूरसिंह) का 1/4 हिस्सा था बर्फी देवी के कोई जान्दा सन्तान नही थी तथा गांव गादली तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 13 रकबा 1.60 हैक्टर ख.न. 14 रकबा 1.12 हैक्टर ख.न. 15 रकबा 0.58 हैक्टर ख.न. 16 रकबा 0.90 हैक्टर ख.न. 17 रकबा 0.88 हैक्टर किता 5 रकबा 5.08 हैक्टर मे बर्फी देवी का 1/8 हिस्सा था उक्त बर्फी देवी के कोई जायन्दा सन्तान नही थी उसके पति की मृत्यु बर्फी देवी के जीवनका मे हो गई थी वादी स. 1 बर्फी देवी के पति भंवर सिंह जिसे भूरसिंह भी कहते थे उसके भाई उमराव सिंह का पुत्र वादी स. 2 लगायत 5 बर्फी देवी के पति भंवर सिंह उर्फ भूरसिंह क भाई बाघसिंह के पुत्र हरिसिंह के वारीसान हैं तथा वादी स. 6 लगायत 9 प्रतिवादी स. 7 ही बर्फी देवी के पति भंवर सिंह उर्फ भूरसिंह के भाई फूलसिंह के वारीस हैं तथा वादी स. 10 लगायत 15 फुलसिह के मृत पुत्र महावीर सिंह के वारीस हैं तथा वादी स. 16 लगायत 18 फुलसिंह के मृत पुत्र विकम सिंह के वारीसान हैं इस प्रकार मृतक बर्फी देवी के वादीगण ही वारीसान हैं इनके अलावा उसके और कोई वारीस नही हैं ।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 1 मे वर्णित भूमि ख.न. 11 ख.न. 7 ख.न. 8 ख.न. 9 किता 4 रकबा 4.33 हैक्टर मे बर्फी देवी पत्नि भंवर सिंह उर्फ भूरसिह का 1/4 हिस्सा था उसकी मृत्यु के बाद वादी स. 1 का इसमे 1/12 हिस्सा वादी स. 2 लगायत 5 का 1/12 हिस्सा वादी स. 6 लगायत 9 एवं प्रतिवादी स. 7 का 5/84 हिस्सा वादी स. 10 लगायत 15 का 1/84 हिस्सा वादी स. 16 लगायत 18 का 1/84 हिस्सा उनको उतराधिकार मे प्राप्त हुआ हैं तथा वाद पत्र के खण्ड न.1 मे वर्णित भूमि ख.न. 13 ख.न. 14 ख.न. 15 ख.न. 15 ख.न. 16 ख.न. 17 किता 5 रकबा 5.08 हैक्टर मे बर्फी देवी पत्नि भंवर सिंह उर्फ भूरसिंह का 1/8 हिस्सा था इसलिये इस भूमि मे वादी स.1 को 1/24 वादी स. 2 लगायत 5 को 1/24 हिस्सा तथा वादी स. 6 लगायत 9 एवं प्रतिवादी स. 7 को 5/168 वादी स. 10 ल[illegible] 16 लगायत 18 को 1/168 हिस्सा उतराधिकार मे प्राप्त हुआ हैं क्योकि [illegible] की मृत्यु नाओलाद 28.12.2014 को मृत्यु हो चुकी हैं इस भूमि मे [illegible] की मृत्यु हो चुकी हैं वादी स. 6 लगायत 9 वं 10 लगायत [illegible] वारीसान हैं विजय सिंह पुत्र फुलसिंह प्रतिवादी स. 7 दावा[illegible] नही है वह छऊ निवास करता हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:48:42 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वाद पत्र संख्या : 37 / 2022
सुमेर आदि बनाम कुलदीप आदि
निर्णय दिनांक 03/07/2023

3. यह कि वादीगण की हकपूर्वाधिकारी बर्फी देवी की मृत्यु दिनांक 28.12.2014 को हो चुकी हैं वादी स. 2 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी हरिसिंह की मृत्यु 07.05.2019 को हो चुकी हैं तथा बर्फी देवी पत्नि भंवर सिंह जिसे भूरसिह कहते थे उसकी भी मृत्यु हो चुकी हैं इसलिये वादीगण ही उक्त बर्फी के विधिक वारीसान हैं लेकिन बर्फी देवी की मृत्यु के बाद भी वाद वर्णित भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज नही हई हैं जबकि वादीगण इस बर्फी देवी के स्थान पर खातेदार घोषित किये जाने योग्य हैं एवं रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने योग्य हैं तथा प्रतिवादी स.1 के पिता का नाम फूलसिह हैं जो भी गलत रूप से गुलजीसिह दर्ज हैं वह भी दुरूस्त योग्य हैं।

4. यह कि वाद वर्णित भूमि ख.न.7, 8, 9, 11 किता 4 रकबा 4.33 हैक्टर मे बर्फी देवी के 1/4 हिस्सा के स्थान पर वादी स. 1 को 1/12 हिस्सा , वादी स. 2 लगायत 5 को 1/12 हिस्सा वादी स. 6 लगायत 9 एवं प्रतिवादी स. 7 को 5/84 हिसा वादी स. 10 लगायत 15 को 1/84 हिस्सा वादी स. 16 लगायत 18 को 1/84 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने योग्य हैं तथा बर्फी देवी पत्नि भंवर सिंह का नाम हजफ किये जाने योग्य हैं तथा ख.न. 13, 14, 15, 16, 17 किता 5 कुल रकबा 5.08 हैक्टर मे बर्फी देवी के स्थान पर वादी स. 1 को 1/24 हिस्सा वादी स. 2 लगायत 5 को 1/24 हिस्सा वादी स. 6 लगायत 9 एवं प्रतिवादी स. 7 को 5/168 हिस्सा वादी स. 10 लगायत 15 को 1/168 हिस्सा , वादी स. 16 लगायत 18 को 1/168 हिस्सा हैं इसी अनुसार वे अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं एवं उक्त बर्फी देवी पत्नि भवंर सिंह का नाम हजफ किये जाने योग्य हैं।

5. यह कि वाद वर्णित भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम नही होने एवं मृतक बर्फी देवी के ही नाम दर्ज रहने से वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं इसए वादीगण के लिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

6. यह कि वादीगण स. 6 लगायत 18 एवं प्रतिवादी स. 7 की हकपूर्वाधिकारी केला देवी की मृत्यु हो चुकी हैं वादीगण स. 6 लगायत 18 एवं प्रतिवादी स. 7 खातेदार घोषित किये जाने योग्य हैं अर्थात् भूमि ख.न. 13 , ख.न. 14 ख.न. 15 ख.न. 16 ख.न. 17 किता 5 कुल रकबा 5.08 हैक्टर मे बर्फी पत्नि भंवर सिंह एवं कली पत्नि फुलसिंह का नाम हजफ किये जाने योग्य हैं इसलिए इस खण्ड मे वर्णित भूमि मे वाद स. 1 का 1/24 वादी स. 2 लगायत 5 का 1/24 हिस्सा वादी स. 6 लगायत 9 एवं प्रतिवादी स. 7 का 5/42 हिस्सा वादी स. 10 लगायत 15 का 1/42 वादी स. 16 लगायत 18 का 1/42 हिस्सा घोषित किये जाने योग्य हैं।

7. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि मे बर्फी देवी पत्नि भंवर सिंह की मृत्यु होने वादीगण उसके वारीस होने कली पत्नि फूलसिंह की मृत्यु होने व कली एवं बर्फी का नाम दर्ज रहने से पैदा हुआ हैं इसलिये दावा अन्दर मियाद हैं वैसे भी इस प्रकार के दावो के लिये कानून मे कोई मियाद निर्धारित नही हैं।

8. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्रामा गोपालपुरा मे स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद मे हैं इसलिए यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

9. यह कि दावा घोषणात्मक ... रिकॉर्ड दुरूस्ती के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस नियत हैं अतः दावा कुल 2/–रू. कोर्ट ... न्यायालय श्रीमानजी को पेश हैं।

10. यह कि प्रतिवादी स. 8 ... 4 से प्रतिवादी स.1 व 2 द्वारा ऋण लेने के कारण आवश्यक पक्षकार होने ... पक्षकार बनाया गया हैं।

11. यह कि वाद वर्णित भूमि का ... हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:48:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वाद पत्र संख्या : 37/2022
सुमेर आदि बनाम कुलदीप आदि
निर्णय दिनांक 03/07/2023

12. यह कि दावा द्वितिय प्रति मे पेश हैं तथा वाद पत्र के समर्थन मे वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि –

(क).कि वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 7 ख.न. 8 ख.न. 9 ख.न. 9 ख.न. 11 किता 4 रकबा 4.33 हैक्टर मे बर्फी देवी पत्नि भंवर सिंह के हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादी स. 1 को 1/12 हिस्सा वादी स. 2 लगायत 5 को 1/12 हिस्सा वादी स. 6 लगायत 9 एवं प्रतिवादी स. 7 को 5/84 हिस्सा तथा वादी स. 10 लगायत 15 को 1/84 हिस्सा एवं वादी स. 16 लगायत 18 को 1/84 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने कि कृपा करे।

(ख). कि वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 13, ख.न. 14 ख.न. 15 ख.न. 16 ख.न. 17 किंता 5 कुल रकबा 5.08 हैक्टर मे वादी स.1 को 1/24 हिस्सा वादी स. 2 लगायत 5 को 1/24 हिस्सा वादी स. 6 लगायत 9 एवं प्रतिवादी स. 7 को 5/42 हिस्सा वादी स. 10 लगायत 15 को 1/42 हिस्सा वादी स. 16 लगायत 18 को 1/42 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इस भूमि से बर्फी देवी पत्नि भंवर सिंह , कली पत्नि फुलसिंह का नाम हजफ करने की कृपा करे।

(ग). कि दावा वादी विरूद प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने कि कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई प्रतिवादी स. 2 , 3, 5, 6, 7 की ओर से श्री अशोक यादव एडवोकेट ने इकबाली जवाब पेश किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसार वादी का दावा अन्तिम रूप से डिक्री योग्य पाया जाता हैं।

– :: आदेश ::–

अतः कि वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 7 ख.न. 8 ख.न. 9 ख.न. 9 ख.न. 11 किता 4 रकबा 4.33 हैक्टर मे बर्फी देवी पत्नि भंवर सिंह के हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादी स. 1 को 1/12 हिस्सा वादी स. 2 लगायत 5 को 1/12 हिस्सा वादी स. 6 लगायत 9 एवं प्रतिवादी स. 7 को 5/84 हिस्सा तथा वादी स. 10 लगायत 15 को 1/84 हिस्सा एवं वादी स. 16 लगायत 18 को 1/84 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने एवं वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 13, ख.न. 14 ख.न. 15 ख.न. 16 ख.न. 17 किता 5 कुल रकबा 5.08 हैक्टर मे वादी स.1 को 1/24 हिस्सा वादी स. 2 लगायत 5 को 1/24 हिस्सा वादी स. 6 लगायत 9 एवं प्रतिवादी स. 7 को 5/42 हिस्सा वादी स. 10 लगायत 15 को 1/42 हिस्सा वादी स. 16 लगायत 18 को 1/42 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इस भूमि से बर्फी देवी पत्नि भंवर सिंह , कली पत्नि फुलसिंह का नाम हजफ करने आदेशि दिया जाता हैं एवं तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता हैं कि वह उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें । इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 03/07/2023 को लिखा जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:48:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र संख्या : 37 / 2022
सुमेर आदि बनाम कुलदीप आदि
निर्णय दिनांक 03/07/2023

मूल वाद में अन्तिम डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुनील कुमार चौहान, आरएस

राजस्व वाद स. 37 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :— 2022 / 89

सुमेर आदि— **ब ना म** —कुलदीप आदि

दावा —घोषणात्मक , रिकॉर्ड दुरूस्ती

वादी की ओर से श्री **राजेश यादवएडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी स. 2, 3, 5, 6, 7, की ओर से **श्री अशोक यादवएडवोकेट** इस वाद में आज तारीख 03/07/23 की **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं और अंतिम डिकी दी जाती हैं कि —

" अतः कि वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 7 ख.न. 8 ख.न. 9 ख.न. 9 ख.न. 11 किता 4 रकबा 4.33 हैक्टर मे बर्फी देवी पत्नि भंवर सिंह के हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादी स. 1 को 1/12 हिस्सा वादी स. 2 लगायत 5 को 1/12 हिस्सा वादी स. 6 लगायत 9 एवं प्रतिवादी स. 7 को 5/84 हिस्सा तथा वादी स. 10 लगायत 15 को 1/84 हिस्सा एवं वादी स. 16 लगायत 18 को 1/84 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने एवं वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 13, ख.न. 14 ख.न. 15 ख.न. 16 ख.न. 17 किता 5 कुल रकबा 5.08 हैक्टर मे वादी स.1 को 1/24 हिस्सा वादी स. 2 लगायत 5 को 1/24 हिस्सा वादी स. 6 लगायत 9 एवं प्रतिवादी स. 7 को 5/42 हिस्सा वादी स. 10 लगायत 15 को 1/42 हिस्सा वादी स. 16 लगायत 18 को 1/42 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इस भूमि से बर्फी देवी पत्नि भंवर सिंह , कली पत्नि फुलसिंह का नाम हजफ करने आदेशि दिया जाता हैं एवं तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता हैं कि वह उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।"

इसी अनुसार अंतिम डिकी जारी हो ।"

यह निर्णय आज दिनांक 03/07/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:48:42 IST
Reason: SelfAttested